संख्या- 47 /2022/ई-2052079/71-3-2022-

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 10 मार्च, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मेडिकल कालेज, अयोध्या हेतु मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/936, दिनॉक 25.02.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या हेतु 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद रू0 964.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2210-05-105-03-"43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-01-वेतन एवं 09-विद्युत देय मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 964.00 लाख (रू0 नौ करोड़ चौसठ लाख मात्र) की सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बीएम-9 में उल्लिखित मद में संक्रमित धनराशि को व्यय किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2021-22 में उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा तथा उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-83-मेडिकल कालेज, अयोध्या-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by कुलदीप कुमार रस्तोगी
Date: 10-03-2022 12:26:34
Reason: Approved

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण		वित्तीय वर्ष 2021-22		प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–शिक्षा					
43–मेडिकल कालेज, गारेखपुर					
01–वेतन–	4774.05	900.00	900.00	900.00	**3874.05**
09–विद्युत देय–	2000.00	64.00	64.00	64.00	**1936.00**
कुल योग–	**6774.05**	**964.00**	**964.00**	**964.00**	**5810.05**
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–शिक्षा					
83–मेडिकल कालेज, अयोध्या–					
20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)	1800.00	2764.00	964.00	964.00	2764.00
कुल योग–	**1800.00**	**2764.00**	**964.00**	**964.00**	**2764.00**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद–01–वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 900.00 लाख तथा मानक मद–09–विद्युत देय में रू0 64.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 964.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या ने अपने पत्र संख्या–मे0का0अ0/पुनर्विनियोग/2021-22/2096 दिनांक 30.12.2021 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या हेतु हास्पिटल को सुचारू रूप से चलाने के लिए औषधियों तथा कन्ज्यूमेबल्स (आई0वी0सेट, सर्जिकल ग्लब्स आदि) आउटसोर्स कर्मियों के वेतन भुगतान, क्लीनिंग, लाण्ड्री, डाइट, बी0एम0डब्ल्यू0, विद्युत बिल आदि के लम्बित बिलों **(बिलों की छायाप्रति संलग्न)** के भुगतान एवं आगामी माह हेतु आने वाले व्यय को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 964.00 लाख मानक मद–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर–वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–आरई–465 /ई–3– /दस–2022, दिनांक 08/03/2022

सेवा में

महालेखाकार
लेखा एवं हकदारी प्रथम,
उ0प्र0 इलाहाबाद

संख्या–.....

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल।

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग।

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग।